

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 717/2014/डुंगरपुर
2. अपील संख्या 718/2014/डुंगरपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, डुंगरपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दोषी लक्ष्मीलाल कंचरुलाल,
नगरपालिका के सामने डुंगरपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.के.अजमेरा, उप राजकीय अभिभाषक।
श्री वी.के.गर्ग, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 23.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह दोनों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 07-08/वेट/रेस्टो0/13-14/डुंगरपुर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 02.12.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 58, 61, 64 के अन्तर्गत कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार किया गया।
2. दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने से इनको एक ही आदेश से निर्णीत किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी द्वारा बालाजी वेपर्स का व्यवसाय किया जाता है, जिसको अनब्रान्डेड नमकीन मानकर 4 प्रतिशत की दर से कर राजकोष में जमा करवाया गया, तत्पश्चात वास्तविक कर दर की जानकारी प्राप्त होने पर व्यवहारी द्वारा अन्तर कर राजकोष में जमा करवाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की करापवंचना की मंशा मानते हुए कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत निम्नतालिका अनुसार शास्तियां आरोपित की। जिसके विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्तियां अन्तर्गत धारा 61 को अपास्त करते हुए कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रत्यर्थी की अपीलें अस्वीकार की। जिसके विरुद्ध यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई हैं।

अ.सं.	क0नि0वर्ष	आ.दि.	शास्ति
717/14	06-07	06.02.09	244355
718/14	07-08	24.02.09	587767

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. उप राजकीय अभिभाषक ने केवल शास्ति के बिन्दु पर बहस की एवं तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश अनुचित है। अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जिसको पुनः बहाल किया जावे। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

→

लगातार.....2

6. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है, जो न्यायोचित है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158, सीटीओ बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन एवं कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1320/2013/सिरोही सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट लि० निर्णय दिनांक 26.06.2014 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ केरला 7 वीएसटी 621 माननीय केरला उच्च न्यायालय। अतः माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में आरोपित शास्तियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अपास्त करने का निवेदन किया।


7. हमने दोनों पक्षों की बहस एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। दोनों प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा सम्पूर्ण संव्यवहार अपनी लेखा पुस्तकों में अंकित किया गया है, जिससे व्यवहारी की करापवंचना की मंशा सिद्ध नहीं होती है। व्यवहारी द्वारा अन्तर कर राजकोष में जमा करवा दिया गया है।

शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

8. अतः शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


23.5.2017
(मदन लाल)
सदस्य